रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062026-273944
CG-DL-E-30062026-273944

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30 , 2026/ आषाढ 9, 1948
No. 479] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2026/ ASHADHA 9, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2026

सं. 03/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.)

सा.का.नि. 532(अ).— केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 में,

(i) नियम 18 में, परन्तुक में, "नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका" शब्दों के स्थान पर "नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और मॉरीशस" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) नियम 19 में, परन्तुक में, "नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका" शब्दों के स्थान पर "नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और मॉरीशस" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]
धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी.- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. 733(अ), दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. 02/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.) दिनांक 26 मार्च, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 203(अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2026

No. 03/2026-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 532(E).— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Excise Rules, 2017, namely:-

1. Short title and commencement.-

(1) These rules may be called the Central Excise (Second Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. In the Central Excise Rules, 2017,

(i) in rule 18, in the proviso, for the words "Nepal, Bhutan, Bangladesh and Sri Lanka", the words "Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives and Mauritius" shall be substituted;

(ii) in rule 19, in the proviso, for the words "Nepal, Bhutan, Bangladesh and Sri Lanka", the words "Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives and Mauritius" shall be substituted.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 733(E), dated the 30th June, 2017 and last amended by notification No. 02/2026-Central Excise (N.T.) dated 26th March, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i),*vide* number G.S.R. 203 (E), dated 26th March, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2026

सं. 32/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 533(अ).— केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 06/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 205(अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, खंड (ख) में, "नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका" शब्दों के स्थान पर "नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और मॉरीशस" शब्द रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]
धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी.- मूल अधिसूचना सं. 06/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 205(अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 30/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 15 जून, 2026 द्वारा किया गया था, जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. 478(अ), दिनांक 15 जून, 2026 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2026

No. 32/2026-Central Excise

G.S.R. 533(E).— In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 06/2026-Central Excise, dated the 26th March, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 205(E), dated the 26th March, 2026, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, in clause (b), for the words "Nepal, Bhutan, Bangladesh and Sri Lanka", the words "Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives and Mauritius" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]
DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note.- The principal notification No. 06/2026-Central Excise, dated the 26th March, 2026 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 205(E), dated the 26th March, 2026 and last amended by notification No. 30/2026-Central Excise dated 15th June, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i),*vide* number G.S.R. 478 (E), dated 15th June, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2026

सं. 33/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 534(अ).— केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 208(अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, "नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका" शब्दों के स्थान पर "नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और मॉरीशस" शब्द रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]
धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी.- मूल अधिसूचना सं. 09/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 208(अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2026

No. 33/2026-Central Excise

G.S.R. 534(E).— In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 09/2026-Central Excise, dated the 26th March, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 208(E), dated the 26th March, 2026, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, for the words "Nepal, Bhutan, Bangladesh and Sri Lanka", the words "Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives and Mauritius" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]
DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note.- The principal notification No. 09/2026-Central Excise, dated the 26th March, 2026 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 208(E), dated the 26th March, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2026

सं. 34/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 535(अ).— केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क और वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 210(अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, खंड (ख) में, "नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका" शब्दों के स्थान पर "नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और मॉरीशस" शब्द रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]
धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी.- मूल अधिसूचना सं. 11/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 210(अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 21/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2026 द्वारा किया गया था, जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. 326(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2026 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2026

No. 34/2026-Central Excise

G.S.R. 535(E).— In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 112 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2026-Central Excise, dated the 26th March, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 210 (E), dated the 26th March, 2026, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, in clause (b), for the words "Nepal, Bhutan, Bangladesh and Sri Lanka", the words "Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives and Mauritius" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]
DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note.- The principal notification No. 11/2026-Central Excise, dated the 26th March, 2026 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 210(E), dated the 26th March, 2026 and last amended by notification No. 21/2026-Central Excise dated 30th April, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i),*vide* number G.S.R. 326 (E), dated 30th April, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2026

सं. 35/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 536(अ).— वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 04/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 487(अ), दिनांक 6 जुलाई, 2019 के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, "नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका" शब्दों के स्थान पर "नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और मॉरीशस" शब्द रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी.- मूल अधिसूचना सं. 04/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 487(अ), दिनांक 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 12/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026 द्वारा किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 211(अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2026

No. 35/2026-Central Excise

G.S.R. 536(E).— In exercise of the powers conferred by section 112 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), read with section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 04/2019-Central Excise, dated the 6th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 487(E), dated the 6th July, 2019, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, for the words "Nepal, Bhutan, Bangladesh and Sri Lanka", the words "Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives and Mauritius" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]
DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note.- The principal notification No. 04/2019-Central Excise, dated the 6th July, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 487(E), dated the 6th July, 2019 and last amended by notification No. 12/2026-Central Excise, dated the 26th March, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 211(E), dated the 26th March, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.06.30 20:24:14 +05'30'